DEICHMANN

DEICHMANN

आचार संहिता

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के लिए

DEICHMANN DOSENBACH vanHaren OCHSNER SHOES OCHSNER SPORT RACK ROOM SHOES snipes solebox supremo urbn concepts Buffalo

इस DEICHMANN आचार संहिता, संस्करण 2026 में amfori BSCI आचार संहिता, संस्करण v.2021 शामिल है। DEICHMANN समूह ने amfori BSCI आचार संहिता को मान्यता दी है और BSCI में इसके विद्यमान प्रभाव में और अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए इसे इसके अपने स्वयं के ढांचे में स्वीकार किया है।

प्रस्तावना

हम, DEICHMANN समूह, अपनी संसार भर में फैली गतिविधियों की सामाजिक और पर्यावरणीय सुसंगतता के लिए अपने उत्तरदायित्व को निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद भागीदारों के प्रति हमारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हमने इस DEICHMANN आचार संहिता (संस्करण 2026) को बनाया है। यह भागीदारी-आधारित सहयोग के माध्यम से मानव अधिकारों और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को पहचानने, बचाव करने, रोकने या न्यूनतम करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

"आपूर्ति श्रृंखलाओं के भागीदार" आर्थिक संस्थाएँ होती हैं, जिनमें उनकी महिला और पुरुष कर्मचारी शामिल होते हैं। वे हमें, उन वस्तुओं और/या सेवाओं की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से या तो आपूर्ति करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से DEICHMANN के हमारे वैश्विक अनुबंधित भागीदार होते हैं, जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण में या उनके लिए और/या सेवाओं को प्रदान करने के लिए होता है और जो कि इनके लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

यह DEICHMANN आचार संहिता amfori बिज़नेस सोशल कंप्लायंस इनिशिएटिव (BSCI) का पालन करती है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर आधारित है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार का वैश्विक घोषणापत्र, व्यापार और मानव अधिकारों के प्रति यूएन के निर्देशक सिद्धांत, व्यापार और मानव अधिकारों के प्रति यूएन के दिशा-निर्देशक सिद्धांतों (UNGP) की लैंगिग परिधि, क्षेत्र-आधारित OECD के दिशा-निर्देश और बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए OECD के दिशा-निर्देश, संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार और व्यापारिक सिद्धांत, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (ILO) के मुख्य श्रमिक मानकों, घोषणाओं और सुझावों पर आधारित हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करने की स्थितियों को सुधारने के लिए अति आवश्यक हैं।

इस DEICHMANN आचार संहिता के साथ, हमारा उद्देश्य हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारों के साथ परस्पर सहयोग में हमारे सिद्धांतों को लागू करना और इसे आगे विकसित करना है। अनुपालन ना किए जाने की स्थिति में, सरलता से व्यापारिक संबंधों का अंत नहीं होता है; बल्कि, साथ मिलकर सुधार के उपाय किए जाते हैं।

जब भी व्यापारिक संबंधों का अंत हो रहा हो, तब हम, जहाँ कहीं भी संभव हो, यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए और निष्पक्ष परिवर्तन के उपायों का निर्माण करके सामाजिक दायित्व को निभाते हुए किया जाए। हमारा लक्ष्य दीर्घ-काल के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करना है।

परस्पर सहयोग के प्रति हमारा आधारभूत सिद्धांत यह है कि आपूर्ति श्रृंखला के सभी भागीदार अपनी सभी गतिविधियों में यहाँ निर्धारित किए गए सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करें। हमारा साझा उद्देश्य है कि उचित समीक्षा के दायित्वों के क्रियान्वयन के लिए एक समग्र पद्धति अपनाना है: मानव अधिकारों और पर्यावरण के संबंध में होने वाले नकारात्मक प्रभावों को पहचाना जाना, बचाव करना, राहत और उपचार प्रदान करना। यदि हमारे कोई भी सिद्धांत किसी देश या क्षेत्र के राष्ट्रीय कानून के मानक से नीचे पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कानून और इसके बाद से उच्चतम मानक ही सदा के लिए लागू होते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में, आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के लिए अनिवार्य है कि वे DEICHMANN समूह को तत्काल सूचित करें। उच्चतर मानकों वाले उपस्थित नियम या प्रावधान जो स्थानीय कानूनों से अलग हैं वे उन कानूनों को निष्क्रिय नहीं करते हैं और इनका अनुपालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

Heinrich O. Deichmann (हेनरी ओ. डाइखमेन),
प्रशासकीय बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक

1. कर्मचारियों की भागीदारी और सुरक्षा

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के लिए मानव अधिकारों और पर्यावरण से संबंधित उत्तरदायित्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यवहारों को स्थापित करना अनिवार्य है ताकि कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को मानव अधिकारों और पर्यावरणीय उचित समीक्षा के दायित्वों के साथ-साथ स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के बारे में सुस्थापित जानकारी के आदान-प्रदान में शामिल किया जाए। इसमें लैंगिग-विशिष्ट वाली उचित समीक्षा के दायित्व भी शामिल हैं। इन प्रक्रियाओं में, बाकी अन्य चीजों के अतिरिक्त, विशेष रूप से मानव अधिकारों, पर्यावरणीय मानकों और कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में, जोखिमों का ढांचागत परीक्षण और आकलन शामिल है। उनके लिए अनिवार्य है कि वे दीर्घ-कालिक उद्देश्यों को परिभाषित और उपयुक्त उपायों को सक्रिय करें ताकि कर्मचारियों को DEICHMANN आचार संहिता के उद्देश्यों के अनुसार सुरक्षित किया जाए, और साथ ही साथ कर्मचारियों (विशेष रूप से दुर्बल लोगों को) को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में सूचित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।

इसके अतिरिक्त, आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार बाध्य हैं कि वे प्रबंधकों, कर्मचारियों, और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच पर्याप्त क्षमता का निर्माण करें ताकि ये उपाय सफलतापूर्वक व्यापार में रच-बस जाएँ। गतिविधि के प्रत्येक स्तर पर सतत शिक्षा और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।

संचालनात्मक स्तर पर, आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के लिए किसी संभावित नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए प्रभावी शिकायत प्रणाली को स्थापित, या इसमें भागीदारी करना और इनके सटीक रेकॉर्ड को रखना अनिवार्य है। शिकायत प्रणाली को UNGP की धारा 31 के अनुसार क्रियान्वित किया जाना अनिवार्य है। संचालनात्मक स्तर पर, इसे संबंधित राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध और विषयों के समाधान में सभी शामिल पक्षों के बीच साझेदारियों और समन्वय के माध्यम से प्रभावी रूप से होना चाहिए। वहाँ भी जहाँ विधिक व्यवस्थाएँ प्रभावी हैं और अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं, शिकायत प्रणालियाँ विशिष्ट लाभों को प्रस्तुत कर सकती हैं, जैसे कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति तक तीव्र पहुँच और किसी संभावित कमी का सुगम्य निष्कासन।

2. बाल श्रम और किशोर कर्मचारियों की सुरक्षा

किसी भी व्यक्ति, जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है उसके द्वारा किया किया गया काम बाल श्रम होता है, अन्यथा जहाँ ILO द्वारा मान्य या स्थानीय विधायी नियम किसी अन्य अधिक आयु का प्रावधान देते हों या स्कूल जाने की अनिवार्यता की लंबी अवधि अपवाद के रूप में हो। इस स्थिति में, उच्चतम आयु ही अंतिम होती है।

"किशोर श्रमिक" का संदर्भ ऐसे कर्मचारियों से है जो ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार किसी बच्चे से बड़े और 18 वर्ष की आयु से कम हैं।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के लिए अनिवार्य है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार बाल श्रम का ना तो उपयोग करें, ना ही उसे सहन करें। वे भर्ती प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में आयु के निर्धारण के लिए भरोसेमंद तरीकों को स्थापित करने का वचन देते हैं, लेकिन ये तरीके किसी भी स्थिति में इस प्रक्रिया में शामिल होने वालों के साथ भेद-भाव या अपमानजनक व्यवहार का कारण ना बनें।

यदि ऊपर बताई गई परिभाषा के अनुसार बच्चे, बाल श्रम के पीड़ित पाए गए और उनको इससे मुक्त कराया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों की है। उनके लिए इन बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। प्रक्रियाओं को अभिलेखों में दर्ज करना और सभी इच्छुक पक्षों के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बच्चों और किशोर श्रमिकों को किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षित किया जाना अति आवश्यक है।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के लिए अनिवार्य है कि वे ऐसे बच्चों को, उचित सहायता के माध्यम से, ऊपर व्यक्त की गई जानकारी के अनुसार जब तक वे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए सशक्त करें।

तरीकों और प्रक्रियाओं को प्रस्तुत, अभिलेखित, इसका अनुपाल और सभी संबंधित पक्षों के साथ इस बारे में संवाद किया जाना अनिवार्य है। इन उपायों से उन बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए जो ILO के सुझाव 146 के अंतर्गत आते हैं, जो अनिवार्य शिक्षा या स्कूल जाने की अनिवार्यता के विषय हैं। इसमें वो उपाय शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बच्चा या किशोर स्कूल के संचालित होने के दौरान काम ना कर रहा हो और यह कि परिवहन (काम और स्कूल से आने व जाने की यात्रा), स्कूली शिक्षा और काम पर प्रतिदिन व्यतीत समय दस घंटों से अधिक ना हो।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार सुनिश्चित करते हैं कि किशोर श्रमिक रात का काम ना करें और साथ ही उनको कार्यस्थल से बाहर की परिस्थितियों से भी सुरक्षित रखा जाए जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता और मानसिक व शारीरिक विकास के लिए हानिकारक हों। कंपनियाँ किशोर कर्मचारियों के लिए प्रभावी शिकायत प्रणालियाँ, स्कूल की व्यवस्थाएँ और व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कार्यक्रम की उपलब्धता प्रदान करती हैं।

यदि यह पता चलता है कि इस काम से 18 से वर्ष की कम आयु के किशोर कर्मचारियों को खतरा है, तो उनको, बिना आय में किसी तरह की कटौती के, तत्काल ही खतरे की जगह से किसी उपयुक्त कार्य क्षेत्र या किसी वैकल्पिक कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना होगा।

3. बंधुआ मजदूरी

बंधुआ मजदूरी ऐसा कोई भी काम या सेवा है जिसे करने की मांग किसी व्यक्ति से दंड के भय के कारण की जाए और जिसके लिए वह व्यक्ति अपनी इच्छा से उपलब्ध ना हुआ हो।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार की बंधुआ या विवश करके कराई गई मजदूरी का ना ही प्रयोग करना, और ना ही सहन करना चाहिए, जिसमें राज्य द्वारा लागू की गई बंधुआ मजदूरी, कर्ज के बदले मजदूरी, गुलामी, मानव तस्करी या बंदी श्रम शामिल है। यदि आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार आपूर्ति श्रृंखला में अपने व्यापारिक साझेदारों के माध्यम से श्रम के इस रूप का लाभ उठाते हैं तो वे षड्यंत्र में भागीदारी के आरोपों के जोखिम में हैं।

नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों से यह मांग अनिवार्य रूप से नहीं की जानी चाहिए कि जब उन्हें नियुक्त किया जाए, तो वे कोई जमाराशि दें अथवा अपने निजी अभिलेख सुपुर्द करें। यह अपेक्षा की जाती है कि उत्तरदायित्वपूर्ण मानव संसाधन की नीति के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और यह कि यही आकांक्षा भर्ती करने वाले साझेदारों को प्रेषित की जाएगी। रोजगार के अनुबंध को निश्चय ही स्पष्ट और पारदर्शी रूप से उपलब्ध होना चाहिए। कर्मचारियों से अनिवार्य रूप से अनुबंध के माध्यम से भर्ती का शुल्क या संचालन की लागतों को नहीं लिया जाना चाहिए। उनके पास यह अधिकार है कि वे अपने कार्य-स्थल को किसी भी समय बिना किसी अवरोध के छोड़कर चले जाएँ और नियोक्ता के साथ रोजगार के संबंध को समाप्त करना, एक उचित नोटिस अवधि का विषय होता है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को रोजगार करने से जुड़े कानूनी मामलों, निशुल्क विवाद समाधान, प्रभावी उपचारों और व्यापक, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित कराना अनिवार्य है।

यदि यह पता चलता है कि सिद्धांतों का अनुपालन नहीं हुआ है और परिणाम के रूप में कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से हानि हुई है, तो इसका उपचार एक उचित समय-सीमा के भीतर और उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

4. अनुशासनात्मक उपाय

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों को अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, यौन जोर-जबरदस्ती, शारीरिक दंड, मानसिक या शारीरिक जोर-जबरदस्ती और/या मौखिक रूप से गाली-गलौज का सामना ना करना पड़े।

आवश्यक अनुशासनात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से सदा लिखित में देना चाहिए और साथ ही स्पष्ट, समझ में आने वाली भाषा में मौखिक रूप से कर्मचारियों को अवश्य ही बता दिया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक उपायों को निश्चित रूप से राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए।

5. शोषण

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार कर्मचारियों के साथ मर्यादित और सम्मान का व्यवहार करें। विशेष रूप से, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक, निष्कासन या रिटायरमेंट में व्यक्तियों के साथ निश्चित रूप से शोषण अथवा अलगाव का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसमें शामिल है नस्लीयता, राष्ट्रीयता, असहमति, आयु, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि, धार्मिक झुकाव, शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता, श्रमिक संगठनों या ट्रेड यूनियनों की सदस्यता, राजनैतिक झुकाव या विचारों को अभिव्यक्त करना, यौन वरीयता, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक उत्तरदायित्व, गर्भावस्था, बीमारी अथवा कोई भी ऐसी स्थिति जिसके कारण भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा सके।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार कर्मचारियों को अपने अधिकारों का उपयोग करने से नहीं रोकेंगे। कर्मचारी चाहें तो मान्यताओं या रीतियों का पालन, या उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिनका संबंध जाति, सामाजिक श्रेणी, राष्ट्रीयता की पहचान, धर्म, दिव्यांगता, लिंग, यौन वरीयता, संगठनों की सदस्यता या राजनैतिक झुकाव से हो।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को निश्चय ही भाव-भंगिमाओं, मौखिक अभिव्यक्ति, या शारीरिक संपर्क सहित ऐसे किसी व्यवहार की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो मौखिक, शारीरिक, लैंगिग, मानसिक या आर्थिक दुर्व्यवहार, मानसिक या शारीरिक जोर-जबरदस्ती, शारीरिक दंड अथवा उत्पीड़न या धमकी के अन्य स्वरूपों को दर्शाता हो।

महिला कर्मचारियों को निश्चित ही प्रसव के पूर्व और बाद में कम से कम वैधानिक मातृत्व सुरक्षा दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से उनको गर्भवती होने के कारण काम से नहीं निकाला जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से ऐसे किसी भी कार्यस्थल पर नियुक्त ना करें जो उनके स्वास्थ को हानि पहुँचाए।

6. रोजगार की संदिग्धता

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी भर्ती प्रक्रियाएँ और रोजगार के संबंध कर्मचारियों को असुरक्षा अथवा सामाजिक या आर्थिक खतरे की ओर नहीं ले जाएँ। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी गतिविधियों को कानूनी और अभिलेखित किए गए रोजगार के संबंधों के आधार पर संचालित किया जाता है। इन्हें निश्चित रूप से राष्ट्रीय विधिक नियम, प्रथाओं या व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।

रोजगार के संबंध में प्रवेश करने से पहले, आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को निश्चय ही कर्मचारियों को, जो भाषा वे समझतें हों, उसमें, कार्य के समय, पारिश्रमिक, छुट्टी के अधिकार, निष्कासन के विरूद्ध सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा और भुगतान के प्रावधानों सहित उनके अधिकारों, दायित्वों और कार्य करने की स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को निश्चित ही कार्य करने की सम्मानजनक स्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए, भले ही कर्मचारियों की लैंगिग पहचान कुछ भी हो। विशेष रूप से, जहाँ तक यह संभव हो, कार्य करने की लोचदार स्थितियों के साथ कर्मचारियों को अभिभावक या देख-रेख प्रदाताओं की उनकी भूमिका में सहायता करनी चाहिए। अप्रवासी और सीजनल श्रमिकों पर निश्चित ही विशेष ध्यान देना चाहिए जिनके बच्चे वहीं अप्रवासियों के गृह-नगर में रह गए हों।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार रोजगार के संबंधों का उपयोग उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसा कि कानून के वास्तविक उद्देश्य अनुरूप हो। यह इन बातों को बाहर करता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, (ए) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनका उद्देश्य योग्यताओं या नियमित रोजगार को देना नहीं है, (बी) सीजनल या आकस्मिक कार्य जब इसका उपयोग कर्मचारी की सुरक्षा को सीमित करने के लिए किया जाए, और (सी) वैकल्पिक अनुबंध जो हस्ताक्षरकर्ताओं की हानि करें, साथ ही साथ (डी) ऐसे अनुबंध जिनका उपयोग अस्थायी ऐजेंसी श्रमिकों के शोषण और श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने के लिए हो। इसके अतिरिक्त, उप-अनुबंधकीय व्यवस्थाओं का उपयोग निश्चित ही कर्मचारियों के अधिकारों को कम करने के लिए ना हो।

7. पर्याप्त पारिश्रमिक

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरियों और वेतनों का एक मानक कार्यशील सप्ताह के लिए किया गया भुगतान न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, यदि अधिक है, तो यह सामूहिक मांग के माध्यम से उद्योग के मानकों से स्वीकृत है, और यह कि कानूनी रूप से प्रदान किए जाने वाले सामाजिक लाभ मिले हैं।

मजदूरियों और वेतनों को इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वे कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें, जिसमें उनके परिवार सहित उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिले, और व्यय योग्य आय की एक निश्चित राशि सुनिश्चित करे। जब संबंधित क्षेत्रों में संभावित अंतरों को निर्धारित कर रहे हों, तो इनका आकलन किया जाता है और चरणबद्ध रूप से एक आजीविका की ओर प्रगति की जाती है जो श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन-निर्वाह के एक पर्याप्त मानक को पाने की क्षमता देता है।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार सुनिश्चित करते हैं कि मजदूरियों, वेतनों और लाभों का सटीक मिश्रण कर्मचारियों को नियमित रूप से पूरी जानकारी के साथ स्पष्ट किया जाता है। केवल कानून द्वारा व्यक्त या सामूहिक सहमतियों में निर्धारित की गई स्थितियों के अंतर्गत ही कटौतियों की अनुमति है। अनुशासनात्मक कटौतियों की अनुमति नहीं है। पारिश्रमिक का स्तर अवश्य ही कर्मचारियों की योग्यताओं और शैक्षणिक स्तर के अनुसार होना चाहिए भले ही उनकी लैंगिग पहचान कुछ भी हो और इसका संबंध काम के सामान्य मानक घंटों से हो।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार यह सुनिश्चित करते हैं कि मजदूरियाँ, वेतनों और लाभों का भुगतान समय पर, नियमित रूप से और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जाता है और यह कि पारिश्रमिक का भुगतान वैध मुद्रा में और इस तरह से किया जाता है जो कर्मचारियों की पसंद की हो। ILO की मांग के अनुरूप कुछ तरह के आंशिक भुगतान की अनुमति है।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह की श्रमिक दलाली और झूठे प्रशिक्षण संबंध ना हों जो लागू श्रमिक और सामाजिक सुरक्षा के विधिक कानून और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रति उनके दायित्वों से बचने के किसी उपाय के रूप में कार्य करें।

DEICHMANN

8. कार्य के उचित घंटे

कार्य के घंटों के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को निश्चित रूप से लागू कानूनों और उद्योग के मानकों का पालन करना चाहिए। किसी भी स्थिति में कर्मचारियों से प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक, लगातार काम करने की मांग नहीं की जा सकती है। प्रति सप्ताह न्यूनतम रूप से एक दिन का अवकाश देना निश्चित है और दैनिक रूप से विश्राम के लिए समय देने के अधिकार का पालन करना अनिवार्य है। हालाँकि, DEICHMANN समूह ILO द्वारा परिभाषित अपवादों को मान्यता देता है। लागू राष्ट्रीय कानून, तुलनात्मक उद्योग मानकों या सामूहिक समझौतों की व्याख्या ILO द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्कों के भीतर की जाती है।

ILO द्वारा परिभाषित, छूट दिए जाने वाले मामलों में, कार्य के घंटों की ऊपर दी गई संख्या की अधिकत सीमा बढ़ाई जा सकती है; इस स्थिति में, स्वैच्छिक आधार पर ओवरटाइम की अनुमति दी जाती है। यदि आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों की कर्मचारियों के साथ ओवरटाइम (सप्ताह के नियमित कार्य समय से अधिक) को लेकर सहमति है, तो इन्हें अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह पारिश्रमिक हमेशा प्रति घंटे की सामान्य मजदूरी के कम से कम 125 प्रतिशत पर विशिष्ट दर से दिया जाए। ओवरटाइम को अपवाद स्वरूप होना चाहिए और हमेशा अनिवार्य रूप से कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक होना चाहिए।

9. संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक मांग

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार सभी कर्मचारियों के, एक स्वतंत्र और लोकतंत्रिक व्यवस्था में, अधिकारों का सम्मान करते हैं ताकि वे बिना किसी भेद और लैंगिग पहचान की परवाह किए, अपनी पसंद के श्रमिक संगठनों को चुनें, बनाएँ और उनसे जुड़ें, और सामूहिक मांग में शामिल हों।

ऐसी परिस्थितियों में जहां संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक मांग के अधिकार कानूनी रूप से सीमित हैं, वहाँ आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को, अनिवार्य रूप से इन कर्मचारियों को कार्यस्थल के विषयों पर नियोक्ता के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए, स्व-निर्धारण और मुक्त संगठनों के निर्माण के समतुल्य तरीकों को अपनाने का सामर्थ्य देना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार ट्रेड यूनियन की सदस्यता के आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें और ना ही उनके प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर लोगों के लिए उपलब्ध होने या उनके साथ संवाद करने से रोकें।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा

इस आधार पर कि आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार उद्योग और संभावित विशिष्ट जोखिमों को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से एक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने और कार्य करने के वातावरण को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें अनिवार्य रूप से उचित समितियों की स्थापना करनी चाहिए जो संपूर्ण कार्यबल के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए और इस नीति के स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलूओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हों। कार्यस्थल में अथवा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य केंद्रों में स्वास्थ्य और सुरक्षा की घटनाओं का अनिवार्य रूप से दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक नियमों अथवा यदि राष्ट्रीय विधिक नियम दुर्बल या अपर्याप्त रूप से लागू हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपाल करना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से कार्यस्थल की दुर्घटनाओं अथवा कार्य के दौरान, कार्य करने से या इससे संबंधित स्वास्थ्य क्षति की रोकथाम के लिए उचित उपायों को अपनाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो कार्य करने के वातावरण में जोखिमों को घटाने के लिए वे बाध्य हैं। दुर्बल स्थिति वाले व्यक्तियों जैसे कि, लेकिन इसकी सीमा में केवल यही लोग ही नहीं हैं, किशोर कर्मचारी, नई आयु की माताएँ और गर्भवती महिलाएँ, साथ ही साथ दिव्यांग लोगों को विशेष सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए।

DEICHMANN

काम करने के एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के लिए प्रणालियों को क्रियान्वित करने के क्रम में प्रबंधन और कर्मचारियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के मध्य सक्रिय सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेष चीजों के साथ ही, इसे, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियों को स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है। कंपनियाँ सुनिश्चित करती हैं कि आंतरिक हिस्सेदारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बाहरी पक्षों द्वारा प्रस्तुत हानियों सहित संभावित जोखिमों की पहचान, आकलन, बचाव और समाधान के लिए प्रणालियाँ उपस्थित हैं। वे कर्मचारियों के मध्य होने वाली उन संभावित दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारियों जिनका संबंध काम करने से है, अथवा उस दौरान घटित हुई हैं, के रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय अपनाती हैं। इन उपायों को काम करने के वातावरण के साथ संबंधित हानियों से राहत देने का काम करना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों को अनुकूल और अभिलेखित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण मिले और यह कि इस प्रशिक्षण को सभी नए और पुनः कार्य पर रखे गए कर्मचारी के लिए दोहाराया जाए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार दुर्घटनाओं की स्थिति में श्रमिक की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें अनिवार्य बीमा योजनाओं के माध्यम शामिल हैं। राष्ट्रीय कानून के अनुसार, वे सभी जरूरी अनुमतियों और अभिलेखों को प्राप्त करें और अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर उचित उपायों को अपनाएँ ताकि वे जिन केंद्रों और भवनों का उपयोग करते हैं उनकी स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी भी प्रत्याशित आपात स्थितियों के विरूद्ध उन्हें रक्षा कवच मिले। यदि नियोक्ता द्वारा आवासीय व्यवस्था प्रदान की गई है तो इसमें कर्मचारियों के लिए निवास शामिल है।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार कर्मचारियों के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वे तत्काल आए संकट से बचने के लिए कंपनी से अनुमति मांगे बिना परिसर छोड़ सकते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्मचारियों के पास उपयुक्त व्यवसायिक स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित व्यवस्थाओं और बीमा की समान उपलब्धता है।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार पीने के लिए स्वच्छ पेयजल, खाना बनाने और भंडार करने के लिए सुरक्षित और स्वच्छ क्षेत्र, और इसी प्रकार से भोजन व विश्राम करने के सुरक्षित और स्वच्छ क्षेत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, वे सभी कर्मचारियों को, हर समय और निशुल्क रूप से, प्रभावी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए स्तनपान कराने वाली या गर्भवती महिलाएँ, और इसे कार्यस्थल की जरूरतों पर खरा उतरना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्राम संबंधित व्यवस्था, यदि कर्मचारियों को प्रदान की गई है, साथ ही साथ शौचालय और कपड़े धोने की सुविधाएँ भी, तो ये स्वच्छ और सुरक्षित हों और आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

11. पर्यावरण का संरक्षण

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से व्यापार संचालन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा और प्रभावी नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना चाहिए जो पर्यावरण के प्रति उनके उत्तरदायित्व को दर्शाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रकृतिक संसाधनों का उपयोग जहाँ तक संभव है प्रभावी ढंग से किया जाता है। इसे अनिवार्य रूप से, जिस देश में वे संचालन करते हैं वहाँ पर्यावरण संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय रूप से लागू कानूनों और नियमों के अनुसार होना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार समुदाय, प्राकृतिक संसाधनों और समग्र रूप से पूरे पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को घटाने के लिए उचित उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। जहाँ कहीं भी संभव हो हानिकारक तत्वों से बचा जाना चाहिए अथवा इनका उपयोग केवल सीमित मात्रा में करना चाहिए। उनका उपयोग केवल तभी हो सकता है जब इन्हें सही तरीके से संभाला जाए और उनका उपयोग पर्यावरण को हानि पहुँचाने का कारण बिल्कुल नहीं बनना चाहिए।

कचरे, पैकेजिंग, और रासायनिक, हानिकारक वस्तुओं और स्टोरेज कंटेनरों को अनिवार्य रूप से पर्यावरण के लिए सुरक्षित तरीके से निपटान की गारंटी दी जानी और अनुरोध करने पर इसे सिद्ध करने दिखाना चाहिए। उत्पादन के दौरान उत्पन्न सभी कचरे को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कानून आवश्यकताओं के अनुरूप निपटाया जाना चाहिए। यदि पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इसे अवश्य ही न्यूनतम या उसका उपचार करें।

12. नैतिक व्यापारिक आचरण

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार भ्रष्टाचार, फिरौती या गबन में शामिल ना होने, ना ही किसी भी तरह की घूसखोरी करने का वचन देते हैं, जिसमें वादा करना, लालच देना, किसी तरह का अनुचित वित्तीय या अन्य लाभ स्वीकार करना अथवा देना शामिल है, लेकिन केवल इन तक ही सीमित नहीं है।

यह अपेक्षित है कि उनके पास अपनी गतिविधियों, संरचना और प्रदर्शन के बारे में सटीक जानकारी है और इसे लागू नियमों और उद्योग के समतुल्य व्यवहारों के अनुसार प्रकट करते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से झूठी सूचनाया किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें अनिवार्य रूप से निजी डेटा (जिसमें कर्मचारियों, व्यापारिक साझेदारों, उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर ग्राहकों और उपभोक्ताओं के डेटा शामिल हैं) का संग्रह, उपयोग और सुरक्षा उचित देखरेख के साथ करना चाहिए। निजी डेटा का संग्रह, उपयोग और सुरक्षा का कार्य अनिवार्य रूप से डेटा संरक्षण और सूचना सुरक्षा से संबंधित कानूनों और विधिक अपेक्षाओं के अनुसार किया जाना चाहिए।

नीतियों, कार्यक्रमों और अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध उपायों की जागरूकता को सशक्त बनाने के क्रम में, प्रशिक्षण और संचार के उपायों को निश्चित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

13. प्रबंधन प्रणालियाँ

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को इस आचार संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करने, उन्हें सभी संचालनात्मक कार्यवाहियों में शामिल करने और उनके कॉर्पोरेट सिद्धांत और नीति का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए स्पष्ट उपायों को अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। एक प्रक्रिया और जोखिम आधारित उचित समीक्षा की प्रणाली को अनिवार्य रूप से उनके व्यापारिक व्यवहारों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जो DEICHMANN की आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से कंपनी, व्यापारिक साझेदारों और संबंधित हिस्सेदारों के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में DEICHMANN आचार संहिता की जानकारी को सक्रियता से संचार करना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को निश्चित तौर पर अपने संगठन के भीतर DEICHMANN आचार संहिता से संबंधित सभी मामलों के लिए किसी प्रबंधक को दायित्व देना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के प्रबंधन को अनिवार्य रूप से नियमित अंतराल पर DEICHMANN आचार संहिता की अपेक्षाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करनी और क्रियान्वयन के संबंध में सतत सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार उन सभी कर्मचारियों, जिनका वे पर्यवेक्षण करते हैं, के संबंध में DEICHMANN आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करें और वे

- हर उस स्थल पर जो उनके स्वामित्व में है या DEICHMANN के उत्पादन के लिए जहाँ संचालन और उपयोग करते हैं वहाँ DEICHMANN आचार संहिता के विषयों के क्रियान्वयन के लिए किसी के उत्तरदायित्व का निर्धारण करें;

- ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी कर्मचारी DEICHMANN आचार संहिता के विषयों से परिचित हैं इसके लिए उन्हें उस भाषा में बताया जाए जो कर्मचारियों को समझ आती है और DEICHMANN आचार संहिता के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए;
- ताकि उत्तरदायित्वपूर्ण खरीदारी के व्यवहारों का क्रियान्वयन और उसी अनुसार सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए;
- आपूर्ति श्रृंखला में सभी कर्मचारियों को, विशेष रूप से गृहकार्य करने वालों, अस्थायी श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों जैसे कमजोर समूहों को, उचित समीक्षा प्रक्रिया में शामिल करना ताकि इस स्तर पर चुनौतियों को पहचाना और सुधारों के लिए प्रयास किए जाएँ;
- ताकि DEICHMANN आचार संहिता की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन ना करने के बारे में सूचना प्रदान करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों, निष्कासनों या अन्य भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने से बचाव किया जाए;
- ताकि उन व्यक्तियों और समुदायों के लिए जिन पर हो सकता है विपरीत प्रभाव पड़ा हो उनके लिए संचालनात्मक स्तर पर प्रभावी शिकायत प्रणालियों को स्थापित या उसमें भागीदारी की जाए और सटीक रेकॉर्ड को बनाया जाए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को अनिवार्य रूप से उचित अभिलेखों के माध्यम यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वे DEICHMANN आचार संहिता की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से DEICHMANN समूह द्वारा नियुक्त किए गए पक्षों को, जो इन आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करना चाहते हैं, अभिलेख उपलब्ध कराने और उचित सूचना प्रदान करनी चाहिए।

आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार जिन समझौतों को करने वाले हैं उन सभी में निश्चित रूप से DEICHMANN की आचार संहिता के विषयों का अनुपालन किए जाने को एक शर्त के रूप में शामिल करना चाहिए। इन समझौतों के लिए आवश्यक है कि वो DEICHMANN आचार संहिता की अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपाल करें और अनुरोध किए जाने पर निगरानी की गतिविधियों में भागीदारी लें।

14. ऑडिट और निगरानी

DEICHMANN आचार संहिता के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, DEICHMANN समूह स्वतंत्र ऑडिटरों का भी उपयोग करता है जो इसकी ओर से सामाजिक और पर्यावरणीय ऑडिट करते हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं में उनकी भूमिका के आधार पर, भागीदारों पर क्रियान्वयन की अलग-अलग स्थितियाँ लागू होती हैं।

हम, DEICHMANN समूह, के पास चरणबद्ध, अचानक से की गई जाँचों के माध्यम से इस आचार संहिता के विषयों के साथ अनुपालन करने की निगरानी करने का अधिकार है। इन जाँचों को DEICHMANN समूह के सदस्यों अथवा स्वतंत्र ऑडिटरों द्वारा amfori व्यापार सामाजिक अनुपालन पहल (BSCI) के दिशा-निर्देशों अथवा इस आचार संहिता के अनुसार किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों के सुविधा केंद्रों और कर्मचारियों से संबंधित व्यक्तिगत डेटा तक निर्बाध पहुँच प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। भागीदारी कर रहीं आपूर्ति श्रृंखला की कंपनियाँ DEICHMANN के लोगों और DEICHMANN द्वारा नियुक्त किए गए लोगों को शक्ति देती हैं कि वे कर्मचारियों के साथ स्थल पर और कंपनी के बाहर साक्षात्कारों का आयोजन करें, जब तक कि डेटा गोपनीय रहता है और बिना किसी प्रभाव के इस पर कार्यवाही की जाए।

15. सुधारात्मक उपाय और अपूर्णता

DEICHMANN आचार संहिता उन सिद्धांतों का निर्धारण करती है जिसका अनुपाल करने की अपेक्षा हम स्वंय से और आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों से करते हैं। आचार संहिता के विषयों की स्वीकृति के बाद क्रियान्वयन, व्यापारिक संबंध की पूरी अवधि पर लागू होता है, जिसमें इस संबंध के समाप्त होने का समय शामिल है।

हमें जानकारी है कि इन अपेक्षाओं के क्रियान्वयन के कुछ मामलों में एक चरणबद्ध पद्धति की आवश्यकता होती है। DEICHMANN समूह के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि, अनुपालन ना होने की स्थिति में, आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार सभी जरूरी सुधारात्मक कदमों को उठाएँ ताकि स्थिति को सुधारा और एक उचित समय-अवधि के भीतर इन सिद्धांतों पर खरा उतरा जाए। यह अवधि सुधारात्मक उपाय की प्रकृति और जोखिम की सीमा पर निर्भर करती है और निश्चय ही इस बारे में DEICHMANN के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

यदि आपूर्ति श्रृंखला के भागीदार उचित सुधारात्मक कदमों को नहीं उठा रहे हैं, और उल्लंघन लगातार हो रहे हैं, तो हम बाध्य हैं कि इस परस्पर सहयोग को समाप्त कर दें।

Deichmann SE • Deichmannweg 9 • 45359 Essen • csr@deichmann.com